राष्ट्रीय संस्करण

हरभजन की पीएम से अपील, हमें प्रदूषण से बचाइए

>> 6


# दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 148

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 6 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16


**अभूतपूर्व** ▶ तीस हजारी कोर्ट परिसर में हुई झड़प के बाद की गई कार्रवाई के विरोध में 11 घंटे तक चला प्रदर्शन

# इंसाफ मांगने सड़क पर उतरी दिल्ली पुलिस

## देश के इतिहास में पहली बार हजारों पुलिसकर्मी अपने ही मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे

**जागरण संवाददाता, नई दिल्ली**

वकीलों से हुई हिंसक झड़प के बाद की गई कार्रवाई के विरोध में दिल्ली पुलिस के जवान मंगलवार को सड़क पर उतर आए। देश के इतिहास में पहली बार इंसाफ की मांग को लेकर हजारों पुलिसकर्मी अपने ही मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे और नारेबाजी की। कुछ वर्दी में थे तो कुछ सादे कपड़ों में। पुलिसकर्मियों के परिजन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। चारों तरफ तख्तियां नजर आ रही थीं, जिन पर 'बेबस खाकी', 'कौन सुनेगा किसको सुनाएं, खाकी वर्दी में हम इंसान हैं', 'अपराधियों को दंड दो, हमें इंसाफ चाहिए', 'रक्षा करने वालों को सुरक्षा की जरूरत', 'पुलिस के लिए कोई मानवाधिकार नहीं', जैसे नारे लिखे थे। नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक की भी नहीं सुनी। उनके साथ धक्कामुक्की तक की गई। कई वरिष्ठ अफसरों के समझाने पर भी पुलिसकर्मी नहीं माने। जब पुलिस आयुक्त द्वारा मांगे माने जाने का ऑडियो संदेश सुनाया गया तब रात 8 बजे धरना-प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिसकर्मियों की यूनियन बनाने, की गई कार्रवाई वापस लेने व आरोपित वकीलों पर कार्रवाई करने समेत प्रमुख मांगें मानी गई हैं।

**'सीपी गो बैक' के लगे नारे :** आक्रोशित पुलिसकर्मियों ने पुलिस आयुक्त से इस्तीफा मांगा। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा, तीस हजारी मामले की न्यायिक जांच हो रही है। हालात में सुधार हो रहा है। उनके यह कहते ही पुलिसकर्मी नाराज हो गए और 'सीपी गो बैक...सीपी गो बैक' के नारे लगाने लगे।

### सुबह नौ बजे से शुरू हुआ धरना-प्रदर्शन मांगें माने जाने के बाद रात आठ बजे समाप्त

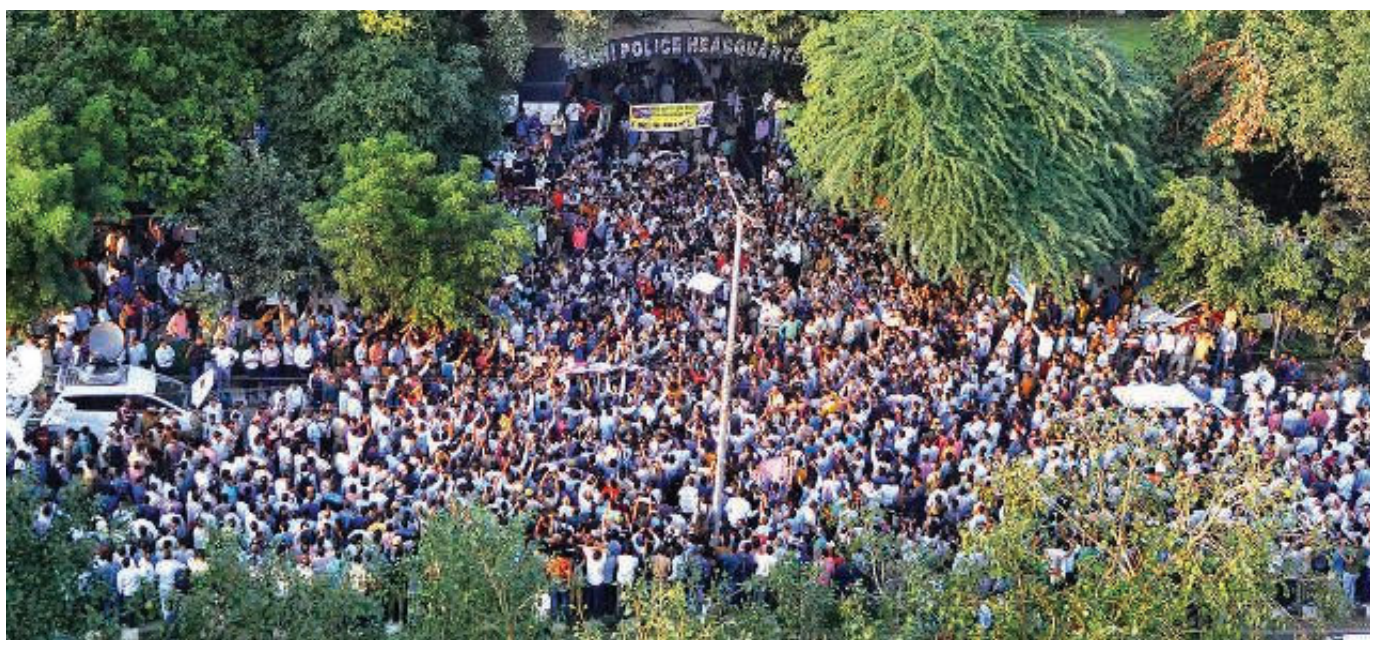

नई दिल्ली स्थित अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़प के बाद मंगलवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ध्रुव कुमार

### 'पुलिस कमिश्नर कैसा हो किरण बेदी जैसा हो' के लगे नारे

पुलिसकर्मियों ने आयुक्त के सामने नारे लगा दिए कि पुलिस कमिश्नर कैसा हो किरण बेदी.... दीपक मिश्रा जैसा हो। इन सबके बीच पुलिस कमिश्नर को वापस लौटना पड़ा। बता दें 1988 में तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष हुआ था। उस समय किरन बेदी दिल्ली पुलिस में डीसीपी थीं। उन्होंने पुलिस वालों का साथ दिया था।

### बीसीआइ ने दी चेतावनी

मंगलवार को पुलिसकर्मियों के तेवर देख बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने विभिन्न बार निकायों को पत्र लिखकर कहा कि मारपीट में शामिल वकीलों की पहचान करें और सभी बार काउंसिल विरोध-प्रदर्शन समाप्त करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीसीआइ इस पूरे प्रकरण से समर्थन वापस ले लेगी। इससे संस्था का नाम खराब हो रहा है। बीसीआइ ने ऐसे अधिवक्ताओं का ब्योरा भी मांगा है, जो मारपीट की घटनाओं में लिप्त रहे।

### इसलिए अचानक सड़कों पर उतरे पुलिसकर्मी

तीस हजारी कोर्ट परिसर में बवाल के बाद साकेत कोर्ट परिसर के बाहर पुलिसकर्मियों के साथ बदसुलूकी होने से पुलिसकर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्हें लगा कि उनका और उनके साथियों का अपमान हो रहा है, इसलिए वे एकजुट हो गए। उनका कहना था कि हमसे हर कोई अभद्र व्यवहार करता है। जब हम आला अफसरों से शिकायत करते हैं तो वे भी नहीं सुनते। तीस हजारी कोर्ट परिसर में पहले दिन वकीलों ने हम लोगों की पिटाई की, हम लोगों ने भी वकीलों की पिटाई की। अगले दिन साकेत कोर्ट परिसर के बाहर वकील ने सरेआम सिपाही की पिटाई क्यों की। बता दें, तीस हजारी कोर्ट परिसर में 2 नवंबर को लॉकअप के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर वकील और पुलिसकर्मी के बीच कहासुनी ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया था।

### ये थीं पुलिसवालों की मांगें

- सभी स्तर के जजों की पुलिस सुरक्षा वापस ली जाए।
- हिंसा में शामिल सभी वकीलों पर आपराधिक मुकदमा चले।
- हिंसा से प्रभावित अफसरों व कर्मियों की शिकायत पर केस दर्ज हो।
- अदालतों और वकीलों से असहयोग।
- अदालतों में पूर्ण रूप से पुलिस सुरक्षा हटाई जाए।
- ट्रैफिक पुलिस वकीलों से कोई नरमी न बरते।
- वकीलों और उनके स्टाफ की पुलिस कार्यालय में प्रवेश बंद हो।
- पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो।
- पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों के लिए संगठन बहाल हो।
- दिल्ली की सरकार को कोई पुलिसकर्मी सहयोग न करे।
- निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों को बहाल किया जाए।
- पुलिसकर्मियों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएं।
- जिस वकील ने पुलिसकर्मी से मारपीट की है, उसे गिरफ्तार किया जाए।
- मारपीट की घटना में शामिल वकीलों के लाइसेंस रद किए जाएं।

### ऐसे चला प्रदर्शन

- सुबह 9.00 बजे : पुलिसकर्मी आइटीओ स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटने शुरू हुए।
- 10.00 बजे : प्रदर्शन व नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ।
- दोपहर 12 :40 बजे : पुलिस आयुक्त पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी।
- 2.00 बजे : पुलिसकर्मियों के परिजन भी प्रदर्शन में शामिल।
- शाम 5.00 बजे : हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का एक जत्था दिल्ली पुलिस के समर्थन में आ गया। उत्तर प्रदेश के भी कुछ पुलिसकर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए।
- 7.30 बजे : पुलिस आयुक्त का संदेश सुनाया गया। इसमें मांगे मानने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा हुई।

### आइएएस एसोसिएशन ने हमले की निंदा की

**नई दिल्ली :** भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संघ (आइएएस एसोसिएशन) और आइपीएस एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, ऐसे समय में हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि दोषियों को शीघ्र ही न्याय के कठघरे में लाया जाएगा।

सरकार खफा, वरिष्ठ पुलिस अफसरों पर गिर सकती है गाज पेज>>5

## सरोकार

### सावधान! सामने आ रहे पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले

**जमशेदपुर :** झारखंड से आ रही यह सूचना सचेत कर रही है। राज्य के कोल्हान संभाग

में पुरुष स्तन कैंसर के हर साल औसतन दो मामले सामने आने से चिकित्सक हैरान हैं। पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो अबतक 20 मरीजों में इसक पुष्टि हो चुकी है। (पेज-11)

## जागरण विशेष

### मूंछों का 'गोलमाल' कर आ पहुंचा 'इंडियन आइडल' तक

**कोलकाता :** अमोल पालेकर अभिनीत फिल्म 'गोलमाल' देखी होगी तो कोलकाता

के शुभदीप का गोलमाल समझ जाएंगे। नकली मूंछ के बल पर शिक्षक व गायक की जिंदगी जीने वाले शुभदीप 'इंडियन आइडल' पहुंच गए हैं। (पेज-11)

### सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना नासा का वॉयजर-2

**वाशिंगटन :** चार दशक से लंबे सफर के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यान वॉयजर-2 सौरमंडल की परिधि के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। इससे पहले वॉयजर-1 इस सीमा पार पहुंचा था। (पेज-16)

# बैंक घोटालेबाजों पर शिकंजा, 190 ठिकानों पर सीबीआइ ने मारे छापे

**जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली**

- 7200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटालों में कुल 42 एफआइआर दर्ज की गईं
- जांच एजेंसी का देशव्यापी अभियान, उप्र में 15 स्थानों पर तलाशी

बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सीबीआइ ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक साथ 42 एफआइआर दर्ज करते हुए जांच एजेंसी ने देशभर में लगभग 190 स्थानों पर छापा मारा। सीबीआइ के अनुसार 42 मामलों में बैंकों को 7200 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया गया। जिन कंपनियों व उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं, उनमें कानपुर की फास्ट इंफ्रास्ट्रक्टर एंड एनर्जी और बनारस की जेवीएल एग्रो इंडस्ट्रीज शामिल हैं। सीबीआइ ने छापे में घोटाले से संबंधित अहम दस्तावेज बरामद होने का दावा किया है।

सीबीआइ के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बनारस स्थित जेवीएल एग्रो इंडस्ट्री के निदेशकों ने कंपनी के फर्जी बैलेंस शीट, स्टॉक और बैंक स्टेटमेंट दिखाकर बैंक ऑफ बड़ौदा से 518 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। साथ ही इतना ही कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से भी लिया। बाद में बैंकों से मिले पैसे को अपनी दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। इस तरह दोनों बैंकों के कुल 1,036 करोड़ रुपये डूब गए। सीबीआइ ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने की साजिश में शामिल डीएन झुनझुनवाला, एसएन झुनझुनवाला, आदर्श झुनझुनवाला, अंजु झुनझुनवाला व रजनी पांडेय के साथ-साथ दोनों बैंकों के अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपित किया है। इसी के साथ कंपनी के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेश विश्वकर्मा को भी आरोपित किया गया है।

इसी तरह कानपुर की फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनर्जी पर भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 68 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर नहीं लौटाने का आरोप है। सीबीआइ ने कंपनी के निदेशक उदय जयंत देसाई के साथ-साथ सभी पांच निदेशकों को आरोपित किया है। वैसे सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश की किसी अन्य कंपनी के खिलाफ एफआइआर के बारे में अभी तक नहीं बताया है। जांच एजेंसी ने इतना जरूर बताया कि घोटाले के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में कुल 15 स्थानों पर छापा मारा गया। इनमें कानपुर, लखनऊ, बनारस, नोएडा, गाजियाबाद और चंदौली शामिल हैं। सीबीआइ के अनुसार, छापे की कार्रवाई एक साथ 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई। इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 58 और मध्य प्रदेश में 57 स्थान शामिल हैं। पंजाब में बठिंडा और गुरदासपुर समेत कुल 32 स्थानों के अलावा बिहार, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में दो-दो, हरियाणा में पांच, दिल्ली में 12 स्थानों पर छापे मारे गए।

### निशाने पर रहे बड़े घोटालेबाज

सीबीआइ की कार्रवाई में कुछ बड़े घोटालेबाज भी निशाने पर रहे। इनमें भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल शाखा को 1,266 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाली मुंबई की कंपनी एडवांटेज ओवरसीज, भारतीय स्टेट बैंक की दिल्ली स्थित शाखा से 1,100 करोड़ का कर्ज लेकर नहीं चुकाने वाले इनेरगो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, आइडीबीआइ के नेतृत्व में 12 बैंकों के कंसोर्टियम से 1,083 करोड़ रुपये कर्ज लेकर डकारने वाली चेन्नई की सुराना इंडस्ट्री और ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स की दिल्ली स्थित शाखा से 223 करोड़ का कर्ज लेकर दूसरी कंपनियों में स्थानांतरित करने वाली लालसंस ज्वेलर्स शामिल हैं।

# 16 साल से लटके गुजरात के बिल पर राष्ट्रपति की मुहर

**जागरण संवाददाता, अहमदाबाद**

- आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगेगी लगाम
- 2004 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते मोदी लाए थे विधेयक

आतंकवाद और संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए बनाए गए बहुचर्चित गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम (गुजटोक) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इस कानून को 16 साल बाद मंजूरी मिली है। यह कानून आतंकवाद के साथ शराब की तस्करी, फिरौती, जालसाजी जैसे संगठित अपराधों पर शिकंजा कसेगा। खास बात है कि टेलीफोन की बातचीत को वैधानिक साक्ष्य माना जाएगा।

गुजरात के गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने बताया कि अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से गुजरात की सुरक्षा और अपराध की जांच के लिए पुलिस को अधिक अधिकार और समय मिल सकेगा। राज्य सरकार विशेष अदालतों का गठन करेगी, अन्यथा डिविजन सेशन कोर्ट में मामला चल सकेगा। सरकार अतिरिक्त सरकारी वकील व लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेगी।

पहले इस अधिनियम का नाम गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण कानून था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस कानून का मसौदा तैयार किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह विधेयक 2004 से लंबित था। 2015 में राज्य सरकार ने गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम नाम से नया विधेयक विधानसभा से पारित कराया। हालांकि, पुलिस को टेलीफोन पर बातचीत टेप करने और उसे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करने का प्रावधान नए बिल में भी कायम रखा गया।

जाडेजा ने बताया कि इस कानून से आतंकवाद के साथ सुपारी देकर हत्या कराने, मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती वसूलने, प्रतिबंधित माल की हेराफेरी, अपहरण, जालसाजी वाली योजनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सुबूत माना जाएगा। साथ ही पुलिस को आरोपपत्र पेश करने के लिए छह माह का समय मिलेगा। अन्य अपराध में चार्जशीट 90 दिन में पेश करनी होती है।

**कई बार लौटाया गया विधेयक :** महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की तर्ज पर जून 2004 में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने गुजरात कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल पेश किया था। राष्ट्रपति और राज्यपालों ने इस कानून को कई बार संशोधन के लिए वापस लौटाया। कांग्रेस ने इसकी जरूरत पर ही यह कहते हुए सवाल उठा दिया था कि इसका अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होगा। राज्यपाल नवल किशोर शर्मा और डॉ. कमला बेनीवाल के कार्यकाल में यह काफी विवादास्पद बना रहा। राज्यपाल ओपी कोहली ने 2015 में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था।

### शिवसेना से भाजपा किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार

**मुंबई :** महाराष्ट्र भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को स्पष्ट संकेत दिए कि भाजपा किसी भी मुद्दे पर शिवसेना से चर्चा करने को तैयार है, लेकिन शिवसेना अब भी अपनी पुरानी भूमिका पर अड़ी हुई है। उसके प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि भाजपा ढाई साल के मुख्यमंत्री पद का लिखित आश्वासन दे तो ही बात शुरू होगी। विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 12 दिन बीत चुके हैं और इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने में अब सिर्फ तीन दिन की अवधि शेष है। इसी बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के सरकारी निवास पर हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक के बाद भाजपा के रुख में नरमी दिखाई दी। (पेज-4)

### पीएफ घोटाला : पावर कारपोरेशन के पूर्व एमडी गिरफ्तार

**लखनऊ :** बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक वित्त और सचिव ट्रस्ट के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पावर कारपोरेशन के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) एपी मिश्र को भी गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार तड़के मिश्र को हिरासत में लेकर ईओडब्ल्यू ने दिनभर पूछताछ की। इस बीच शक्ति भवन स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट के कार्यालय में लगातार दूसरे दिन छानबीन कर कई और अहम दस्तावेज भी ईओडब्ल्यू ने कब्जे में लिए हैं। (पेज-6)

## कानून की कसौटी

तीन न्यायाधीशों की पीठ में से दो सुधीर अग्रवाल और धर्मवीर शर्मा ने उसे राम जन्मभूमि माना था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हैं देश की निगाहें

# इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना था वही है राम जन्मस्थान

**माला दीक्षित, नई दिल्ली**

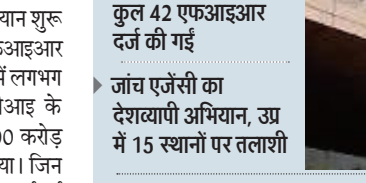


अयोध्या में जमीन के जिस हिस्से पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सारे देश की निगाहें लगी हैं, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्मभूमि माना था। फैसला देने वाली पीठ के तीन में से दो न्यायाधीशों जस्टिस सुधीर अग्रवाल और धर्मवीर शर्मा ने माना था कि वही राम जन्मस्थान है। तीसरे जज एसयू खान ने भी कहा था कि हिंदुओं का लंबे समय से विश्वास रहा है कि विवादित भूमि के बड़े हिस्से में से एक छोटा हिस्सा राम जन्मस्थान है, लेकिन, वह छोटा हिस्सा विशेष तौर पर चिह्नित नहीं हुआ। हालांकि, इसके बावजूद जस्टिस खान ने विवादित स्थल के तीन हिस्सों में बंटवारे के आदेश में केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा जहां अभी रामलला विराजमान हैं, भगवान रामलला को आवंटित करने पर सहमति जताई थी।

धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी ज्यों-ज्यों पास आती जा रही है, लोगों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। विवाद का मूल यही है कि हिंदू उस स्थान को राम जन्मस्थान बताते हैं और पूरी जमीन को राम जन्मभूमि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों ने विवादित स्थल को मस्जिद घोषित करने की मांग की है।

हाई कोर्ट के फैसले में केंद्रीय गुंबद के नीचे वाला हिस्सा जहां रामलला विराजमान हैं, भगवान रामलला को ही देने का आदेश दिया गया था। बाकी दो हिस्सों में एक निर्मोही अखाड़ा और एक मुसलमानों को देने का आदेश था। तीसरे जज धर्मवीर शर्मा ने पूरी भूमि को राम जन्मभूमि घोषित करते हुए रामलला विराजमान को दी थी।

मुकदमे में एक बिंदु यह भी तय हुआ था कि क्या विवादित स्थल ही राम जन्मस्थान है। इस मुद्दे पर जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने फैसले में कहा था कि विवादित इमारत के केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा, जहां भगवान रामलला विराजमान हैं, हिंदुओं की आस्था के मुताबिक राम जन्मस्थान है। वह हिस्सा भगवान रामलला विराजमान का है। इसी सवाल पर जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने कहा था कि विवादित स्थल भगवान राम का जन्मस्थान है। जन्मस्थान स्वयं देवता और न्यायिक व्यक्ति है। राम जन्मस्थान दिव्य शक्ति का साक्षात रूप है जो कि बालक है।

**विदेशी यात्री और ऐतिहासिक दस्तावेजों को माना था आधार :** जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने फैसले के पीछे विदेशी यात्रियों के वर्णन, सरकारी गैजेटियर और धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाया था। 1608 से 1611 के बीच अयोध्या आए विदेशी यात्री विलियम फिंच ने कहा था कि वहां एक जगह रामचंद्र का किला है, जिसे उनका जन्मस्थान माना जाता है। दूसरा दस्तावेज आस्ट्रेलियन विदेशी यात्री टिफिनथेलर का वर्णन है जो कि 1766 से 1771 के बीच अयोध्या गया था। वह संस्कृत सहित कई भाषाओं का ज्ञाता ईसाई पादरी था। उसने विवादित स्थल और विवादित इमारत का जिक्र किया और कहा था कि लोगों का विश्वास है कि भगवान राम यहां जन्मे थे। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि मुस्लिम शासन था और हिंदू खतरा मोल लेते हुए मस्जिद के अंदर इस विश्वास के साथ पूजा करने जाते थे कि यह भगवान राम का जन्मस्थान है।

### मोहम्मद असगर की चिट्ठी को भी माना था महत्वपूर्ण दस्तावेज

जस्टिस अग्रवाल ने फैसले में कहा था कि रिकार्ड पर मौजूद 30 नवंबर, 1858 का मोहम्मद असगर का पत्र बहुत अहम दस्तावेज है। पत्र में कहा गया है कि अंदर के अहाते में हिंदू कई सौ साल से पूजा करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दस्तावेज को नजरअंदाज करने का कोई आधार नजर नहीं आता। कई गवाहों के बयान इसे मजबूती देते हैं। उन्होंने सरकारी गैजेटियरों का भी हवाला दिया और उसे भगवान राम का जन्मस्थान घोषित किया।

### फैसले से पहले भाजपा, संघ, मुस्लिम नेता एकजुट

**नई दिल्ली :** अयोध्या पर फैसले से पहले सामाजिक सदभाव की कवायद जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को भाजपा, आरएसएस और मुस्लिम नेताओं ने एक बैठक में दोहराया गया कि फैसले को पूरा देश न्यायिक निर्णय के तौर पर ले। (पेज-7)

# सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद पंजाब के किसानों ने फूंकी पराली

**आशा मेहता, लुधियाना**

- प्रदेश में मंगलवार को 6668 खेतों में जली पराली, सोमवार को यह आंकड़ा 5953 था

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद पंजाब के किसानों ने मंगलवार को बेखौफ होकर पराली जलाई। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (पीआरएससी) के आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष पांच नवंबर को साढ़े छह गुना ज्यादा पराली जलाई गई। 22 जिलों में मंगलवार को 6668 खेतों में पराली जलाई गई। सोमवार को 5953 मामले दर्ज हुए थे।

पीआरएससी के एग्रो इको सिस्टम और क्रॉप मॉडलिंग डिवीजन के प्रमुख डॉ. अनिल सूद ने बताया कि 2018 में पांच नवंबर को यह आंकड़ा महज 1001 था। 2017 में इस दिन 1985 खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आए थे। अगर 23 सितंबर से पांच नवंबर तक के आंकड़ों की बात करें तो भी इस वर्ष पिछले दो वर्षों की तुलना में ज्यादा पराली जलाई गई। इस साल पांच नवंबर तक 37,935 खेतों में पराली जलाई गई। 2018 में आंकड़ा 27,224 और 2017 में 37,298 था।

**संगरूर, बठिंडा में सबसे ज्यादा पराली जली :** आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को संगरूर में 1007 खेतों में, बठिंडा में 945, मोगा में 628, बरनाला में 563, मानसा में 546, फिरोजपुर में 491, पटियाला में 427, लुधियाना में 422, मुक्तसर में 403 फरीदकोट में 316, फाजिल्का में 186, जालंधर में 175, तरनतारन में 149, अमृतसर में 103, कपूरथला में 106 खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आए।

**कैबिनेट सचिव की रिपोर्ट में भी जताई गई चिंता**

नई दिल्ली, प्रेट्र : कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की दैनिक समीक्षा में भी पाया गया कि पंजाब व हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं। दोनों राज्यों को निगरानी के लिए ज्यादा टीमें लगाने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। (पेज-6 भी देखें)